राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 67/2022

सुरेश पुत्र मालाराम जाति अहीर उम्र 62 साल निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........आवेदक

**ब–ना–म**

1. नरेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हाऊस नम्बर 0, कालोनी दनचोली सिटी, नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
2. सुखवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति अहीर निवासी हाऊस नंबर 0, कालोनी डेरोली सिटी, नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक शाखा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........अप्रार्थीगण

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**:: निर्णय ::** **दिनांक 06–09–2022**

आवेदन की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बसई तहसील खेतड़ी स्थित आराजी भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के हाल खाता सं. 344के ख.नं. 525 रकबा 0.40 है., ख.नं. 526 रकबा 1.42 है., ख.नं. 695 रकबा 0.29 है., ख.नं. 700 रकबा 0.20 है., ख.नं. 701 रकबा 0.17 है., ख.नं. 702 रकबा 0.36 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.84 है. भूमि का आवेदक एकांकी खातेदार काश्तकार है। वाके ग्राम बसई स्थित भूमि ख.नं. 457 रकबा 0.18 है. अनावेदक सं. 1 लगा. 2 की खातेदारी की भूमि है जो प्रार्थी की भूमि के सटकर है तथा ख.नं. 457 रकबा 0.18 है. की दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे जाने वाले रासते ही आवेदक अपने खेत में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात् आवेदक की खातेदारी की भूमि [illegible]6 तक जाने के लिए 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जो ख.नं. 457 रकबा 0.18 है. की दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे की ओर नजरी नक्शे के अनुसार आवेदक को दिलाये जाने योग्य है। प्रार्थी अपनी भूमि ख.नं. 526 में आबाद है। प्रार्थी की भूमि के लिये कोई आम रास्ता नहीं है इसलिये प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है। प्रार्थी के लिये आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

विवाद प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर रास्ता नहीं होने आपसी करार से निपटारा नहीं होने एवं प्रार्थी द्वारा धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना करने को तैयार व तत्पर होने से पैदा हुआ है। आवेदक का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदक के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे आवेदक के खेत में आने जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा नंबर 457 की दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे आने जाने वाले रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे एवं ना ही कोई अवरोध पैदा करें ऐसा कार्य ना स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण की तलबी की गई। अनावेदक सं. 1 व 2 की ओर से जवाव आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के जरिये चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि भूमि खसरा नंबर 427 गै.मु. रास्ता व उसमें से अनावेदकगण की भूमि ख.नं. 457 के दक्षिण–पश्चिम भाग से व ख.नं. 456 की उत्तरी मियाल के सहारे–सहारे सुलभ रास्ता है यह रास्ता आवेदक के खेत खसरा नंबर 526 की पश्चिमी सीमा से व खसरा नंबर 427 व 457 के दक्षिणी–पूर्वी भाग तक केवल 80 फीट की दूरी पर है व आवेदक द्वारा मांगा गया रास्ता सडक से आवेदक के खेत तक 170 फिट लम्बाई में होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प आवेदक के लिए यह भी है कि वह अपनी भूमि खसरा नंबर 526 से उत्तर स्थित खसरा नंबर 1079/458 जो कि रास्ता की भूमि है उक्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार बनाकर रास्ता खसरा नंबर 1079/458 में से आवागमन कर सकते हैं। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत निवेदन है कि दौराने रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा हटवाई जावे व आवेदक का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

शेष अनावेदक सं. 3 से 4 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान [illegible] मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं. 34[illegible] के ख.नं. 525, 526, 695, 700, 701, 702 कुल किता 6 कुल रकबा 2.84 है. ग्राम बसई का आवेदक एकांकी खातेदार दर्ज

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

रिकार्ड है। ग्राम बसई स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 457 रकबा 0.18 है. के अनावेदक सं. 1 व 2 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 526 में आने जाने के लिए अनावेदक सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.नं. 457 की दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ाई में रास्ता चाहा गया है। रास्ते बाबत आवेदक का आवेदन पत्र सं. 257/2022 अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक सं. 1 व 2 को ताफैसला आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अनावेदक/अप्रार्थी सं. 1 व 2 को ताफैसला आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे ग्राम बसई स्थित भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 0.18 है. के दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ाई में भूमि ख.नं. 426 तक रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग की जा रही भूमि में किसी प्रकार का अवरोध कारित नहीं करें। रास्ता कटान के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र विशेष का रहन, बेचान नहीं करें। भूमि ख.नं. 457 में रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष भूमि के लिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested